न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 187/2017/223 आर टी ए

हेतराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 9 बीजीपी–बी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. रूडासिंह पुत्र जसमहेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमीत सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जसमेलकौर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. पम्मी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. गुरदास सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सरजीत कौर पत्नि स्व0 राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. बीरी पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. काको पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. राणी पुत्री स्व. राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. हरमेलकौर पत्नि जसमहेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. शरणजीत कौर पुत्री जसमहेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. सुखदेवसिंह पुत्र रामसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. लाभसिंह पुत्र रामसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. गुरदेवसिंह पुत्र रामसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. चरणासिंह पुत्र रामसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. सरजीतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. वजीतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. छोटूसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. प्रमजीत सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. मेवासिंह पुत्र करनैलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. राजकुमार पुत्र करनैलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. मनीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. प्रेमराज पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. ख्यालीराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. कृष्ण पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. संतरो पुत्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. शांति पुत्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. थ्संनगारी पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. सजना पत्नि सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. चन्दकौरी पत्नि सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. तोगासिंह पुत्र बचनसिंह जाति रामगढ़िया निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. अवतारसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रामगढ़िया निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. श्यामसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रामगढ़िया निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. कलवंतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रामगढ़िया निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. सर्वजीतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रामगढ़िया निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
38. विनोद कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39. नत्थुराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. प्रबन्धक पीएनबी बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

41. प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़।

42. प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

43. प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

44. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.03.2012 व डिक्री दिनांक 02.04.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 127/2011

उपस्थित :—

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2, 3 व 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 44

निर्णय दिनांकः—01.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ता 10 के पिता/पति ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा व मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बिना तामील करवाये एवं बिना सूचना दिये एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने तथाकथित से बाहमी बंटवारा दिखाते हुये चक 9 बीजीपी—बी के प.न. 187/146 मु.न. 39 कि.न. 16 मे से 0.084 है0 वादी सं. 1 के कब्जा काश्त मे तथा 0.084 है0 वादी सं. 2 के कब्जा काश्त मे व प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 11 मे 0.253 है0 व 20 मे 0.240 है0 वादी सं. 3 के कब्जा काश्त मे होना बताते हुये दावा पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

बिना अपीलांट को सुने तथा बिना मौका एवं कब्जा की जांच किये उपरोक्त भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे होते हुये अंतिम डिक्री पारित कर वादीगण के नाम घोषणा की जाकर जरिये अंतिम डिक्री खाता विभाजन किया गया है जो विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूमि चक 9 बीजीपी–बी मे कुल 2.00 बीघा अपीलांट द्वारा वादी सं. 1 स्व. पृथ्वीसिंह से सन् 1992–93 मे खरीदशुदा है तथा तब से लेकर लगातार अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कागजात है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा पृथ्वीसिंह का हक व हिस्सा न होते हुये भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी सं. 1 स्व. पृथ्वीसिंह को खातेदार घोषित किया गया है जो काबिले खारिज है। जबकि चक 9 बीजीपी–बी के प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 11/0.253 है0, 20/0.126, प.न. 187/146 मु.न. 39 कि.न. 16/0.127 कुल 0.506 है0 पर बैयनामा की रोज से कब्जा काश्त लगातार अपीलांट का चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता विभाजन के दावा मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना मे बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये व प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व विधि विरूद्ध रूप से अंतिम डिक्री पारित की गयी है जो विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाऐ तथा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये वगैर निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान की कोई पालना नही की है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा तौर पर जारी की गयी है जिसका ज्ञान अपीलांट को रेस्पो0 सं. 1 द्वारा ऐलानिया तौर पर यह कहने पर कि आपके कब्जा काश्त की भूमि की डिक्री हमने करवा ली है उसके बाद दिनांक 11.05.17 को इंतकाल सं. 318 की प्रमाणित प्रति ली गई तथा दिनांक 23.05.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने से अपीलांट को जानकारी हुयी इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र

स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 10 के पिता/पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया गया जिसमे बाहमी बंटवारा के आधार पर घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अपीलांट की तामील भी विधि अनुसार करवाई तथा सम्मन की प्रति भी अपीलांट के पुत्र पर तामील हुई तत्पश्चात अखबार मे भी प्रकाशन करवाया। बावजूद इसके अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण हाजिर नही आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रति बैयनामा बहक हेतराम, प्रमाणित प्रति द्वारा पृथ्वीसिंह पुत्र नन्दसिंह दिनांक 17.08.94 एवं फोटोप्रति इंतकाल सं. 91 दिनांक 14.02.95 अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को रिकार्ड पर लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट की विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन के वाद नियमानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिससे विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हो सका। अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के हिस्से चक 9 बीजीपी–बी की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2012 व डिक्री दिनांक 02.04.2012 को चक 9 बीजीपी–बी की हद तक अपास्त किया जाता है एवं शेष अपीलाधीन निर्णय

दिनांक 29.03.2012 व डिक्री दिनांक 02.04.2012 यथावत रखा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए वादपत्र मे प्राथमिक डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार स्वयं उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। निर्णय होने तक उभय पक्ष चक 9 बीजीपी–बी की विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official